न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 69 / 2015 / बाड़मेर

अपीलांट

1. श्रीमती देवी पत्नी पेमाराम
2. श्रीमती जेती पत्नी सदराम
   जाति विश्नोई निवासी गुणेशाणियों की ढाणी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.कानाराम पुत्र हरलाल
2.भैराराम पुत्र भारथाराम
3.अर्जुनराम पुत्र भारथाराम
4.भंवरलाल पुत्र भारथाराम
5.भुराराम पुत्र अमलुराम का.मु
5 / 1गंगाराम पुत्र भुराराम
6.बाबु पुत्र चुतराराम
7.जीवणा पुत्र चुतराराम
8.भगवानाराम पुत्र चुतराराम
9.सुरती बेवा चुतराराम
10.भाखराराम पुत्र जोधाराम
11.वीरमाराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी गुणेशाणियों की ढाणी, धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 242 / 2015 बअनवान देवी वगै. बनाम कानाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री महेन्द्रकुमार रामावत अपीलान्ट की ओर से उप.।
2. वकील श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा रेस्पोडेण्ट की ओर से उप.।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 03.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट / प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी / अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1024 / 854 रकबा 16.12 बीघा ग्राम गुणेशाणियों की ढाणी तहसील धौरीमन्ना में आया हुआ है। जिनके मध्य विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1023 / 854 व खसरा संख्या 855 पड़ता है जिसके सेढे–सेढे रास्ता मांगा गया था। अपीलकर्तागण सुगमता से मुख्य मार्ग पर आ जा सके। अधीनस्थ न्यायालय में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर जो मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार धौरीमन्ना द्वारा विधि सम्मत प्रस्तुत नहीं की गई तथा उक्त एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्व अदालत कैम्प कोर्ट धोरीमन्ना में पेशी रखी तथा उस दिन अपीलाकर्ता की अनुपस्थिति में ही अपीलांटगण का आवेदन इस आधार पर खारिज किया गया कि खसरा संख्या 845 में वर्तमान में रास्ता मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाकर्तागण द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता मांगा गया है उक्त रास्ते का उपयोग अपीलांटगण कई समय से करते आ रहे है तथा उक्त रास्ते के अलावा अपीलांटगण को मुख्य मार्ग तक जाने हेतु कोई अन्य प्रस्तावित मार्ग उपलब्ध नहीं है। लेकिन उक्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर जो मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार धौरीमन्ना द्वारा विधि सम्मत प्रस्तुत नहीं की गई तथा उक्त एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्व अदालत कैम्प कोर्ट धोरीमन्ना में पेशी रखी तथा उस दिन अपीलाकर्ता की अनुपस्थिति में ही अपीलांटगण का आवेदन इस आधार पर खारिज किया गया कि खसरा संख्या 845 में वर्तमान में रास्ता मौजूद है। पत्रावली को कैम्प कोर्ट धौरीमन्ना में सुनवाई हेतु रखी इसकी सूचना अपीलांटगण को नहीं दी गई। कैम्प कोर्ट में आपसी सहमती एवं राजीनामा के आधार पर जो फैसले पारित किये जाते है उसे ही निर्णित किया जाना न्यायोचित है लेकिन जिसमें राजीनामा या आपसी सहमति नहीं उसको को विधि सम्मत सुनवाई कर निर्णित किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मौका फर्द दिनांक 23.01.2014 में जिस वैकल्पिक मार्ग की बात की गई है उस का स्पष्ट उल्लेख है कि अस्थाई आवागमन खसरा संख्या 845 व 1023/854 में बताया गया है जबकि जिसका रेकर्ड में इंद्राज नहीं है जिससे इस का कोई विधि सम्मत आधार नहीं है जिससे यह दावा किया जा सके की यह अपीलांटगण की मांग की पूर्ति हेतु स्थाई समाधान है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलाकर्तागण द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता मांगा गया है उक्त रास्ते का उपयोग अपीलांटगण कई समय से करते आ रहे है तथा उक्त रास्ते के अलावा अपीलांटगण को मुख्य मार्ग तक जाने हेतु कोई अन्य प्रस्तावित मार्ग उपलब्ध नहीं है। लेकिन उक्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि प्रार्थी/अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में स्पष्ट वैकल्पिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। इस कारण प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्तें की सुविधा है। वैकल्पिक रास्ता होने के कारण प्रार्थी/अपीलांट को अपनी सुविधा के लिए व नया रास्ता की मांग नहीं कर सकता है। नवीन रास्ते के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना चाहिए। यह अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त तहसीलदार धौरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.01.2014 में उल्लेखित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन विधि विरूद्ध एवं न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत पेश किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि फर्द मौका दिनांक 23.01.2014 के अनुसार "आवेदक/अपीलांट के खेत खसरा संख्या 1024/854 में कटाण रास्ता खसरा संख्या 856 तक पहुंचने हतु खसरा संख्या 1023/854 व 855 में से रास्ता चाहा गया है। कटाण रास्ता खसरा संख्या 856 तक पहुंचने के लिए अन्य कोई नजदीक विकल्प नहीं है। मौका फर्द में संलग्न नक्शे में दर्शाये रास्ते के आलावा अन्य कोई निकटतम कम से कम दूरी का रास्ता नहीं है। मौका फर्द दिनांक 23.01.2014 में अस्थाई आवागमन खसरा संख्या 845 में से होकर खसरा संख्या 1023/854 में से है जो रेकर्ड में दर्ज नहीं है। आवागमन हेतु वर्तमान में कोई कटाण रास्ता या सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता ही सड़क सुविधा से जुड़ने का निकटतम विकल्प है। रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से अपीलांटगण/प्रार्थी की मांग विधि सम्मत है। अपीलांटगण को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता अपीलांटगण/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। रेस्पोडेंटगण का कथन प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मान्य नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 242/2015 बअनवान देवी वगै. बनाम कानाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धौरीमन्ना को इस निर्देश के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार रास्ता दिया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner